| | | |
|---|---|---|
| | | जारी हुये |
| 31.05.22 | प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 09 सीपीसी पेश हुआ। बकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मसरूर अहमद बीमार होने के कारण न्यायालय में नहीं आ सका एवं वकील वादी न्यायालय श्रीमार आरएए महोदय भरतपुर कैम्प धौलपुर में उनवासी प्रकरण रामप्रकाश बनाम माया में बहस कर रहे थे, इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सके इसलिए प्रकरण मसरूर अहमद बनाम सरकार अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज हो गया। वादी प्रकरण को कन्टेस्ट करना चाहता है, इसलिए वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया है।<br>पत्रावली का अवलोकन किया मूल वाद दफ्तर से तलब किया गया है। प्रार्थना पत्र वादी द्वारा पुनः वाद को नम्बर पर लेने बाबत् प्रस्तुत किया है। वकील वादी के कथनों को मनन करने व न्याय हित में वादी का दावा पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित समझते है।<br>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वादी का मूल वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फेसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>धौलपुर (राज) | |